[2018] 13 एस. सी. आर. 443

स्टेट ऑफ उडीसा

बनाम

दसारथी मेहर

(सिविल अपील सं. 2013 का 7362)

27 सितंबर, 2018

[मदन बी. लोकुर और दीपक गुप्ता, जेजे.]

भारत का संविधान–अनुच्छेद. *341* और *342–1950* राष्ट्रपति के आदेश ने अपीलार्थी राज्य में "कुलिस'' को अनुसूचित जनजाति घोषित किया – हालांकि, *1956* के राष्ट्रपति के आदेश ने "कुली" को केवल संबलपुर जिले में अनुसूचित जाति घोषित किया, जबकि राज्य में "कुलिस" को अनुसूचित जनजाति घोषित करना भी जारी रखा – उक्त राष्ट्रपति के आदेशों को *1976* के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जिसमें जाति "कुली" का उल्लेख नहीं किया गया था, हालांकि, "कुलिस" को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया था – यह प्रश्न कि क्या *1976* के अधिनियम में 'कुलिस ' के रूप में उल्लिखित जनजाति में 'कुली ' समुदाय के व्यक्ति शामिल हैं – निर्धारित किया गयाः राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद *341* या *342* के अधीन आदेश जारी किए जाने के पश्चात्, जिसमें जनजातियों या जनजातीय समुदायों या उनके भागों या समूहों को विनिर्दिष्ट किया गया है, जो संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति माने जाएंगे, उक्त आदेश को राज्य द्वारा या किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा उसमें से संशोधित, संशोधित, जोड़ा या हटाया गया कोई जाति या जनजाति नहीं किया जा सकता है – केवल संसद ही किसी जाति, नस्ल या जनजाति को अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूची से शामिल करने या बाहर करने के लिए कानून बना सकती है–हालांकि, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि आदेश को इस तरह से पढ़ा जाए कि कोई भी जाति या जनजाति, जिसे राष्ट्रपति या संसद द्वारा शामिल करने का इरादा है, वास्तव में बाहर न हो–वर्तमान मामले में, पहले राष्ट्रपति *(*राष्ट्रपति के आदेश में*)* और बाद में संसद *(1976* के अधिनियम में*)* ने "कुलिस" को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया था– हालांकि, राज्य यह दिखाने में विफल रहा है कि कोई भी समुदाय जाति या जनजाति है, जिसे उड़ीसा राज्य में "कुलिस" के रूप में जाना जाता है–इस प्रकार, "कुली" के रूप में जाना जाने वाला केवल एक समुदाय था जिसे कुछ समय के लिए संबलपुर जिले में अनुसूचित जाति के रूप में माना जाता था, लेकिन पूरे राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जाता था – क्रम में प्रयुक्त शब्द "कुलिस" "कुली" के लिए बहुवचन की प्रकृति में है–"कुलिस" और "कुली" का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया गया है – इस प्रकार, यदि "कुली" को "कुलिस" में शामिल नहीं किया जाता है, तो शुद्ध परिणाम अनुसूचित जनजातियों की सूची से एक जनजाति को हटाना होगा ।

यह भी कोई न्यायालय या अधिकरण का अधिकार नहीं है – किसी भी अन्य व्याख्या का अर्थ यह होगा कि कोई भी "कुलिस "जनजाति से संबंधित होने का लाभ नहीं उठा सकेगा–शब्द "कुलिस "में "कुली " समुदाय के सदस्य शामिल होंगे–अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश *(*संशोधन*)* अधिनियम, *1976*–अनुसूची *II,* भाग *XII*–संविधान *(*अनुसूचित जनजाति*)* आदेश, *1950*–भाग *VI*–अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची *(*संशोधन*)* आदेश, *1956*–भाग *IX,* अनुसूची *I,* भाग *IX,* अनुसूची *III*

अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1.1 न्यायालय द्वारा पूछे गए स्पष्ट प्रश्नों के बावजूद, अपीलार्थी और हस्तक्षेपकर्ता यह दिखाने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं कर सके कि "कुलिस " नाम से एक अलग समुदाय है। बार–बार, जिन दस्तावेजों का उल्लेख किया गया था, वे उस अवधि से संबंधित दस्तावेज थे जब "कुली" को संबलपुर जिले में अनुसूचित जाति घोषित किया गया था, जबकि "कुलिस" को पूरे राज्य में एक जनजाति घोषित किया गया था । दोनों पक्षों द्वारा संदर्भित दस्तावेज जो रिपोर्ट की प्रकृति में अधिक हैं, इंगित करते हैं कि "कुली" बुनकरों का एक समुदाय है जो पहले वनवासी थे । यह समुदाय बहुत मोटे प्रकार के कपड़े की बुनाई में लगा हुआ है । किसी भी दस्तावेज़ में यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली कि "कुली" या "कुलिस" दो अलग–अलग जातियाँ या जनजातियाँ हैं जो कुछ अलग व्यवसायों से संबंधित हैं । सभी दस्तावेजों में उन्हें समानार्थी रूप से प्रस्तुत गया है । [पैरा 16][4520–एच; 453–ए–सी]

1.2 जनसंख्या को दर्शाने वाले कथन में, दोनों समुदायों को 'कुली' के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन व्यवसाय का वर्णन करते समय, समुदाय के सदस्यों को 'कुलिस' के रूप में वर्णित किया गया है । इससे पता चलता है कि "कुली" के रूप में जाना जाने वाला केवल एक ही समुदाय था, जिसे संबलपुर जिले में कुछ समय के लिए अनुसूचित जाति के रूप में माना जाता था, लेकिन पूरे ओडिशा राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जाता था । राज्य प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज में यह दिखाने के लिए कोई संकेत नहीं है कि "कुलिस" नाम से एक अलग जाति या जनजाति है । [पैरा 21] [455–डी]

1.3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की 24 वीं रिपोर्ट में, यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि "कुली" समुदाय को संबलपुर में अनुसूचित जातियों की सूची से हटा दिया गया है क्योंकि "कुलिस" को पहले ही पूरे राज्य में अनुसूचित जनजाति घोषित किया जा चुका है । यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि आयुक्त का विचार था कि "कुली" समुदाय जो संबलपुर जिले में अनुसूचित जाति घोषित किए गए समुदायों में से एक था, अब अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आएगा ।[पैरा 22] [455–ई–एच]

1.4 राज्य यह दिखाने में विफल रहा है कि कोई भी समुदाय जाति या जनजाति है, जिसे "कुलिस" के रूप में जाना जाता है। इस समुदाय को "कुली" के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि क्रम में प्रयुक्त "कुलिस" शब्द "कुली" के लिए बहुवचन की प्रकृति में है। यह संदर्भित विभिन्न दस्तावेजों से और भी स्पष्ट हो जाता है जिसमें "कुलिस" और "कुली " शब्दों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया गया है और हालांकि जाति या जनजाति को "कुली " के रूप में वर्णित किया गया है, समुदाय के सदस्यों को, जब एक साथ निपटा जाता है, तो उन्हें "कुलिस " के रूप में वर्णित किया गया है। इसके अलावा, 1976 के संशोधन अधिनियम के हिंदी संस्करण में, अनुसूचित जनजाति को "कुली" के रूप में वर्णित किया गया है न कि "कुलिस " के रूप में। [पैरा 23] [456–ए–बी]

1.5 न्यायालय की शक्ति बहुत सीमित है और न्यायालय अनुच्छेद 342 के अधीन जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश या संसद द्वारा जारी अधिसूचना को संशोधित, परिवर्तित, उसमें जोड़ या घटा नहीं सकता है । न्यायालय अपनी शक्तियों की सीमाओं के बारे में पूरी तरह से अवगत है। न्यायालय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचित सूची में जोड़, परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकता है। न्यायालय इस संबंध में किसी भी सबूत पर विचार नहीं कर सकती है। साथ ही, न्यायालय अधिसूचित अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूची में उल्लिखित किसी जाति या जनजाति को ऐसी व्याख्या नहीं दे सकता है जिसका प्रभाव संसद के इरादे को रद्द करने होगा। वर्तमान मामले में, पहले राष्ट्रपति और बाद में संसद ने कुलिस को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया था। यह पाया गया है कि ओडिशा राज्य में "कुलिस" नाम का कोई समुदाय नहीं है। एकमात्र समुदाय "कुली" है। यदि "कुली" को "कुलिस " में शामिल नहीं किया जाता है, तो शुद्ध परिणाम अनुसूचित जनजातियों की सूची से एक जनजाति

को हटाने का होगा। यह भी कोई न्यायालय या अधिकरण का अधिकार नहीं है। सूची में प्रविष्टियों को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए जो संसद के इरादे के अनुरूप हो। इससे पहले राष्ट्रपति और बाद में संसद ने "कुलिस" शब्द का उपयोग करते हुए इसे केवल "कुली" शब्द के बहुवचन के रूप में उपयोग करने का इरादा किया था। किसी भी अन्य व्याख्या का अर्थ होगा कि कोई भी "कुलिस" जनजाति से संबंधित होने का लाभ नहीं उठा पाएगा। अंग्रेजी संस्करण में "कुलिस" शब्द में "कुली" समुदाय के सदस्य शामिल होंगे। [पैरा 10,25 और 26] [451–D–E; 456–E–H; 457–A–B]

बी. बसावलिंगप्पा बनाम डी. म्यूनिचिन्नाप्पा *[1965] 1* एससीआर *316;* भैयालाल बनाम हरिकिशन सिंह एआईआर *1965* एससी *1557: [1965] 2* एससीआर *877;* महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद *(2001) 1* एससीसी *4: [2000] 5* अतिरिक्त। एस. सी. आर. *65;* सेबरम मेहर बनाम उड़ीसा राज्य *58 (1984)* सी. एल. टी. *562*–निर्दिष्ट किये गए

न्याय दृष्टान्त संदर्भ

[1965] 1 एस. सी. आर. 316	निर्दिष्ट	पैरा 7
[1965] 2 एस. सी. आर. 877	निर्दिष्ट	पैरा 8
[2000] 5 अतिरिक्त। एस. सी. आर. 65	निर्दिष्ट	पैरा 9
58 (1984) सी. एल. टी. 562	निर्दिष्ट	पैरा 14

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील सं। 2013 का 7362

डब्लू. पी (सी) वर्ष 2011 की 18140 में कटक में उड़ीसा के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 12.09.2011 से।

साथ में

सिविल अपील सं. 2011 के साथ 18140। 2013 का 7363, सिविल अपील संख्या 10066, 10061 और 2018 का 10065।

वी. गिरी, सीनियर अधिवक्ता, शिबाशीष मिश्रा, आशीष कुमार सिन्हा, चंदन कुमार मंडल, सुश्री अनिंदिता पुजारी, सुश्री कविता भारद्वाज, एस. के. पैट्री, .एस. के. राजोरा, मोहम्मद। गयासुद्दीन, आर पी . गोयल, रामेश्वर प्रसाद गोयल, सौम्यजीत पानी, सुश्री स्वाधा शंकर, चित्तरंजन सिंह, सुनील कुमार जैन, विनोद कन्ना बी, शिबाशीष मिश्रा, सुश्री रेणुका साहू, जय सावला उपस्थित पक्षों के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय दीपक गुप्ता, जे. द्वारा प्रतिपादित किया गया

1. एसएलपी (सी) नं. 2015 का 13172, एसएलपी (सी) नं. 2015 का 13169 और एसएलपी (सी) नं. 2015 का 13171 में आज्ञा प्रदान की गयी।

2. क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 की अनुसूची II के भाग XII प्रविष्टि संख्या 42 में "कुली" समुदाय से संबंधित व्यक्ति शामिल हैं, यह वह मुद्दा है

जिस पर मामलों के वर्तमान समूह में निर्णय लेने की आवश्यकता है।

3. भारत के संविधान का अनुच्छेद 342 इस प्रकार हैः

"342। अनुसूचित जनजातियाँ।– (1) राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा।

(2) संसद्, विधि द्वारा, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजातिसमुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में साम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

4. यह उल्लेख करना उचित होगा कि उपरोक्त अनुच्छेद अनुसूचित जातियों से संबंधित अनुच्छेद 341 के लगभग समान है। अंतर केवल इतना है कि अनुच्छेद 341 "जातियों, नस्लों या जनजातियों या जातियों, नस्लों या जनजातियों के भीतर या समूहों के कुछ हिस्सों" से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 342 केवल "जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर या समूहों के कुछ हिस्सों" से संबंधित है। इन मामलों के तथ्यों पर दो लेखों की व्याख्या करते समय इस छोटे से अंतर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5. अपीलार्थी, ओडिशा राज्य (पूर्व में 'उड़ीसा' के रूप में जाना जाता था) और हस्तछेपकर्ता का रुख यह है कि चूंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश में, जिस जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है, वह 'कुलिस' है, इसलिए 'कुली' समुदाय के सदस्य अनुसूचित जनजाति घोषित होने का लाभ नहीं ले सकते हैं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय के पास राष्ट्रपति के आदेश में और बाद में संसद के अधिनियम में जो कहा गया है उसे बदलने या संशोधित करने की शक्ति नहीं है और इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि "कुलिस " में "कुली" शामिल होगा।

6. मामले के तथ्यात्मक पहलू से निपटने से पहले इन मुद्दों से निपटने के दौरान न्यायालय की कानूनी स्थिति और शक्ति की सीमाओं को दोहराना उचित होगा। संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य के संबंध में, उसके राज्यपाल के परामर्श के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जनजातियों या जनजातीय समुदायों या उसके कुछ हिस्सों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकता है, जो संविधान के प्रयोजनों के लिए, उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति माने जाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 341 या 342 के तहत आदेश जारी करने के बाद, उक्त आदेश को राज्य या किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा उसमें से संशोधित, संशोधित, जोड़ा या किसी भी जाति या जनजाति को हटाया नहीं जा सकता है। यह केवल संसद ही है, जो किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति को अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूचियों से शामिल करने या बाहर करने के लिए कानून बना सकती है। राष्ट्रपति के आदेश को बदलने की शक्ति केवल संसद के पास है और कोई अन्य प्राधिकरण नहीं है।इसलिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना सभी उद्देश्यों के लिए और सभी समय के लिए अंतिम है,

सिवाय इसके कि संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा संशोधित किया गया हो।

7. इन प्रावधानों पर कई मामलों में विचार किया गया है। हमें इस न्यायालय के तीन संविधान पीठ के फैसलों को छोड़कर सभी का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। संविधान पीठ का पहला फैसला बी. बसावलिंगप्पा बनाम डी. म्यूनिचिन्नाप्पा[1] में दिया गया था। इस मामले में प्रश्न यह था कि क्या "वोद्दार" जाति का कोई व्यक्ति यह दावा कर सकता है कि वह "भोवी" जाति से संबंधित है जिसे अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आम तौर पर किसी भी न्यायालय या अधिकरण के लिए इस प्रश्न कि "वोद्दार" जाति "भोवी" जाति के समान है पर जाने या साक्ष्य लेने की अनुमति नहीं है । न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह किसी भी न्यायालय या अधिकरण के लिए यह दिखाने के लिए साक्ष्य का उल्लेख करके राष्ट्रपति के आदेश में कोई संशोधन करने के लिए अनुमति नहीं है कि यद्यपि आदेश में केवल जाति "ए" का उल्लेख किया गया है, जाति "बी" भी जाति "ए" का हिस्सा है और इसलिए इसे जाति "ए" में शामिल माना जाना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा यह नोट किया गया था कि जहां कहीं भी एक जाति या एक जनजाति का एक से अधिक नाम है, वहां राष्ट्रपति के आदेश में दूसरे नामों का उल्लेख आम तौर पर कोष्ठक में किया जाता है। ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, इस न्यायालय ने मामले के तथ्यों में पाया कि इस प्रश्न में जाना आवश्यक था क्योंकि यह विवादित नहीं था कि 1956 में इसके पुनर्गठन से पहले मैसूर राज्य में "भोवी" के रूप में जानी जाने वाली कोई जाति नहीं थी।

न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियां प्रासंगिक हैं:

> .....वर्तमान मामले में कठिनाई इस तथ्य से उत्पन्न होती है (जो उच्च न्यायालय के समक्ष विवादित नहीं था) कि मैसूर राज्य में जैसा कि 1956 के पुनर्गठन से पहले था, भोवी के रूप में जानी जाने वाली कोई जाति नहीं थी। आदेश एक अनुसूचित जाति को संदर्भित करता है जिसे मैसूर राज्य में भोवी के रूप में जाना जाता है जैसा कि 1956 से पहले था और इसलिए यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि कुछ जाति थी जिसे राष्ट्रपति ने आदेश में राजप्रमुख के परामर्श के बाद शामिल करने का इरादा किया था, जब आदेश में अनुसूचित जाति के रूप में जाति भोवी का उल्लेख किया गया था। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि राष्ट्रपति ने आदेश में भोवी जाति को शामिल किया था, हालांकि मैसूर राज्य में ऐसी कोई जाति नहीं थी जो 1956 से पहले मौजूद थी।

इसके बाद, इस न्यायालय ने अपने समक्ष रखी गई सामग्री का उल्लेख किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि "भोवी" जाति को पहले "वोद्दार" जाति के रूप में जाना जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि जुलाई, 1944 में आयोजित वोद्दार जाति के एक सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया था कि उस जाति का नाम "वोद्दार" से बदलकर "भोवी" कर दिया जाए। आखिरकार, सरकार ने भी एक आदेश पारित करके उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

बात यहीं खत्म नहीं होती। सरकारी आदेश ने निर्देश दिया कि 'वोड्डा' के रूप में जाने जाने वाले समुदाय को भविष्य में सभी सरकारी संचारों और अभिलेखों में 'बोई' कहा जाएगा। इस न्यायालय ने वर्तनी में परिवर्तन के मुद्दे पर भी विचार किया, जिसमें सरकारी आदेश में 'बोई' का उल्लेख किया गया था, लेकिन अनुसूचित जाति घोषित की गई जाति 'भोवी' थी। इसके अलावा, सरकारी आदेश 'वोड्डा' को संदर्भित करता है न कि 'वोद्दार' को। विभिन्न वर्तनी के मुद्दे पर विचार करते हुए संविधान पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

> .....।यहाँ फिर से इस तर्क में बल है कि जहाँ एक ही जाति की वर्तनी अलग–

1 (1965) 1 एससीआर 316

अलग थी, वहाँ आदेश में अलग–अलग वर्तनी प्रदान की गई है जैसा कि पहले ही चित्रित किया गया है। लेकिन इस सवाल पर विचार करने में हमें वही कठिनाई का सामना करना पड़ा कि क्या वोद्दार जाति का अर्थ आदेश में शामिल भोवी जाति से था, जब हम वर्तनी में अंतर पर विचार करते हैं, क्योंकि यह विवाद में नहीं है कि मैसूर राज्य में भोवी के रूप में जानी जाने वाली कोई जाति नहीं थी जैसा कि 1950 में जब आदेश पारित किया गया था। चूँकि राष्ट्रपति आदेश में एक गैर–मौजूद जाति को शामिल नहीं कर सकते थे, इसका अर्थ है 'भोवी' शब्द मैसूर में किसी जाति से संबंधित है जैसा कि 1956 से पहले था और इसलिए हमें उस जाति की पहचान स्थापित करनी है और यह केवल सबूत से ही किया जा सकता है। उस संबंध में उच्च न्यायालय ने कहा है कि 1946 के आदेश के बाद से, वोद्दार जाति को अंग्रेजी में बोई, बोवी और भोवी के रूप में अलग–अलग वर्तनी दी गई है, हालांकि कन्नड़ समकक्ष एक ही है। इसलिए उच्च न्यायालय ने इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में अंग्रेजी वर्तनी में परिवर्तन को कोई महत्व नहीं दिया है.....

8. संविधान पीठ का दूसरा फैसला भैयालाल बनाम हरिकिशन सिंह[2] के मामले में है। इस मामले में अपीलार्थी ने दावा किया कि वह 'दोहार' जाति से था, जो 'चमार' जाति की एक उप–जाति थी। संविधान पीठ ने कहा कि इस तरह की जांच की अनुमति नहीं है।

9. तीसरा संविधान पीठ का फैसला महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद[3] के मामले में है।. इस मामले में अधिसूचित अनुसूचित जनजाति हलबा/हलबी थी। उच्च न्यायालय ने कुछ दस्तावेजों के आधार पर कहा कि "हलबा–कोष्ठी" को "हलबा" या हलबी में शामिल किया गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालयों को ऐसा करने की अनुमति नहीं है। पूरे कानून पर चर्चा करने के बाद, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

"36. ऊपर जो कहा गया है, उसके आलोक में निम्नलिखित स्थितियाँ सामने आती हैं:

1. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संबंधित प्रविष्टि में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी यह तय करने या घोषित करने के लिए कि किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय के भीतर या समूह के हिस्से को सामान्य नाम में शामिल किया गया है, कोई भी जांच करने या कोई साक्ष्य लेने की अनुमति नहीं है।

2. अनुसूचित जनजाति आदेश को जैसा है वैसा ही पढ़ा जाना चाहिए। यह कहने की भी अनुमति नहीं है कि कोई जनजाति, उप–जनजाति, किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय का हिस्सा या समूह अनुसूचित जनजाति आदेश में उल्लिखित का पर्याय है, यदि उनका उसमें विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

3. अनुच्छेद 342 के खंड (1) के तहत अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करते हुए जारी अधिसूचना को केवल संसद द्वारा बनाए जाने वाले कानून द्वारा संशोधित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी भी जनजाति या जनजातीय समुदाय या किसी जनजाति के भीतर के हिस्से या समूह को अनुच्छेद 342 के खंड (1) के तहत केवल संसद द्वारा कानून द्वारा और किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी अनुसूचित जनजातियों की सूची से शामिल या बाहर किया जा सकता है।

4. यह राज्य सरकारों या न्यायालयों या अधिकरणों या किसी अन्य प्राधिकारी के लिए अनुच्छेद

2 एआईआर 1965 एससी 1557
3 (2001) 1 एससीसी 4

342 के खंड (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित, संशोधित या परिवर्तित करने की अनुमति नहीं है।

5. इस न्यायालय की खंड पीठों के 'भैयाराम मुंडा बनाम अनिरुद्ध पातर[4] और दीना बनाम नारायण सिंह [5] वाले मामलों के निर्णयों में यह कहते हुए विधि का सही निर्धारण नहीं किया गया था कि जाँच अनुज्ञेय थी और राष्ट्रपति के आदेश में प्रविष्टि का आशय क्या था, यह दर्शाने के प्रयोजन के लिए इंगित सीमाओं के भीतर साक्ष्य ग्राह्य था। जैसा कि उपरोक्त स्थिति (1) में कहा गया है, मामले में किसी भी जांच की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है और कोई सबूत नहीं दिया जा सकता है।

यह उल्लेख करना उचित होगा कि मिलिंद के मामले (उपर्युक्त) में संविधान पीठ ने पहले के दो संविधान पीठ के फैसलों की पुष्टि की।

10. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि न्यायालय की शक्ति बहुत सीमित है और न्यायालय राष्ट्रपति के आदेश या संसद द्वारा जारी अधिसूचना में संशोधन, परिवर्तन, जोड़ या घटा नहीं सकता है। साथ ही, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि आदेश को इस तरह से पढ़ा जाए कि कोई भी जाति या जनजाति, जिसे राष्ट्रपति या संसद द्वारा शामिल करने का इरादा है, वास्तव में बाहर नहीं है।

11. राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री शिबाशीष मिश्रा ने प्रस्तुत किया कि मिलिंद के मामले (ऊपर) में दिए गए फैसले को देखते हुए किसी भी अदालत या प्राधिकरण के पास किसी भी जनजाति या जाति को जोड़ने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।उनके अनुसार, चूंकि जनजाति, जिसे अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है, वह "कुलिस " है, इसलिए अदालतें यह व्याख्या नहीं कर सकती हैं कि "कुली" समुदाय से संबंधित व्यक्ति भी अनुसूचित जनजाति घोषित होने के लाभ के हकदार हैं। दूसरी ओर श्री वी. गिरि, विद्वान वरिष्ठ वकील केहते हैं क यह स्पष्ट है कि "कुलिस" केवल "कुली" के लिए एक बहुवचन है और एक अलग जाति नहीं है।

12. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, पहला आदेश जो अभिलेख पर रखा गया है, वह है संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 और भाग V। में अनुसूची, जो वस्तु सं. 31, जनजाति "कुलिस" को पूरे ओडिशा राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। अगला प्रासंगिक दस्तावेज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956 है और ओडिशा राज्य से संबंधित अनुसूची । के भाग IX में, "कुली " को केवल संबलपुर जिले में अनुसूचित जाति घोषित किया गया है।अनुसूची III के भाग IX में इसी क्रम में, "कुलिस " को पूरे ओडिशा राज्य में अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाता रहा।

13. संसद ने राष्ट्रपति के आदेशों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा प्रतिस्थापित किया।यह अधिनियम कुछ जातियों और जनजातियों की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों से समावेशन और अपवर्जन के प्रयोजनों के लिए अधिनियमित किया गया था। राष्ट्रपति के आदेशों को इस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ओडिशा राज्य से संबंधित भाग XII। की अनुसूची में अब "कुली" जाति का उल्लेख नहीं मिलता है। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित भाग XII की अनुसूची II में, जनजाति "कुलिस " को पूरे ओडिशा राज्य के लिए एक अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस आदेश के हिंदी संस्करण में जनजाति "कुली"

4 4 (1970) 2 एससीसी 825 .
5 38 ईएलआर 212; (1968) 8 डीईसी 329

(ए 2 @) को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्णित किया गया है।

14. "कुली" समुदाय से संबंधित व्यक्ति लंबे समय से दावा करते रहे हैं कि वे "कुलिस" जनजाति का हिस्सा हैं और ओडिशा के उच्च न्यायालय ने हमेशा कहा है कि "कुलिस" शब्द "कुली " शब्द के बहुवचन के अलावा और कुछ नहीं है और लगातार यह माना है कि "कुली " "कुलिस" जनजाति का हिस्सा है। इस संबंध में पहला निर्णय सेबरम मेहर बनाम उड़ीसा राज्य[6] में दिया गया था।उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि "कुली" और "कुलिस" शब्दों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि यह विवादित नहीं है कि ओडिशा राज्य में "कुलिस" के रूप में जाना जाने वाला कोई अलग समुदाय नहीं है। अपील के तहत निर्णय सहित बड़ी संख्या में निर्णयों में इस दृष्टिकोण का पालन किया गया था। ओडिशा राज्य ने पहले के फैसलों को चुनौती नहीं दी थी।जहाँ तक ओडिशा राज्य का संबंध है, वे निर्णय बाध्यकारी हो गए।

15. श्री मिश्रा प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि वे निर्णय मिलिंद के मामले (ऊपर) में संविधान पीठ के फैसले से पहले दिए गए थे, इसलिए उन्हें ओडिशा राज्य द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। यह प्रस्तुति पूरी तरह से बेमानी है। मिलिंद के मामले (ऊपर) में इस अदालत ने केवल वही दोहराया है जो बसावलिंगप्पा के मामले और भैयालाल के मामले (ऊपर) और कई अन्य मामलों में कहा गया था। इसलिए हम इस संबंध में राज्य के स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं कर सकते।

16. हम अन्यथा भी मामले के गुण–दोष में चले गए हैं।न्यायालय द्वारा पूछे गए सुस्पष्ट प्रश्नों के बावजूद, अपीलार्थी के विद्वान वकील और हस्तक्षेपकर्ता हमारे सामने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं प्रस्तुत कर सके कि "कुलिस" नाम से एक अलग समुदाय है। बार–बार, जिन दस्तावेजों का उल्लेख किया गया था, वे उस अवधि से संबंधित दस्तावेज थे जब "कुली" को संबलपुर जिले में अनुसूचित जाति घोषित किया गया था, जबकि "कुलिस " को पूरे राज्य में एक जनजाति घोषित किया गया था। दोनों पक्षों द्वारा संदर्भित दस्तावेज जो रिपोर्ट की प्रकृति में अधिक हैं, इंगित करते हैं कि "कुली" बुनकरों का एक समुदाय है जो पहले वनवासी थे। यह समुदाय बहुत मोटे प्रकार के कपड़े की बुनाई में लगा हुआ है। किसी भी दस्तावेज़ में हमें यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली कि "कुली" या "कुलिस " दो अलग–अलग जातियाँ या जनजातियाँ हैं जो कुछ अलग व्यवसायों से संबंधित हैं। सभी दस्तावेजों में उन्हें समानार्थी रूप से प्रस्तुत किया गया है।

17. 1962 में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन में निम्नलिखित टिप्पणी की गई थीः

> "एक जनजाति के रूप में कुली – कुली पूरी तरह से हिंदू समाज के जाति पदानुक्रम के साथ एकीकृत हैं। वे ब्राह्मण की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं, अन्य जातियों के साथ कार्यात्मक संबंध रखते हैं और एक कठोर रूप से निश्चित जाति व्यवसाय रखते हैं। वे हिंदुओं के देवताओं की पूजा करते हैं और उनके कोई अलग देवता या देवी नहीं हैं। वे ऐसा भोजन नहीं करते हैं और ऐसी प्रथाओं में लिप्त नहीं होते हैं जो हिंदुओं के लिए निषिद्ध हैं। बल्कि वे इस संबंध में उच्च जातियों की तरह व्यवहार करते हैं।
>
> निष्कर्ष–उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैंः–
>
> (1) कुली को एक जनजाति के रूप में माने जाने को सही ठहराने का कोई कारण नहीं है।
>
> (2) कुली को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, लेकिन उस क्षमता में वे अन्य अनुसूचित

जातियों से बेहतर स्थिति में हैं। अस्पृश्यता का एक छोटा सा कलंक अब उनसे जुड़ा हुआ है, लेकिन निकट भविष्य में उनके इससे मुक्त होने की संभावना है।

सिफारिश–इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि कुलिस को संबलपुर और बोलांगीर दोनों जिलों में अनुसूचित जाति के रूप में माना जाना चाहिए। उन्हें पांच साल की अवधि के बाद अनुसूचित किया जा सकता है, उस समय तक वे अन्य पिछड़े वर्गों के बराबर का दर्जा प्राप्त कर चुके होंगे।

(जोर दिया गया)

18. 1979 में, एक अन्य अध्ययन में, निम्नलिखित अवलोकन किए गए थेः

"कुलिस अब तक बुनाई के पारंपरिक व्यवसाय का पालन करती हैं। खेती करने वाले कुछ परिवारों को छोड़कर उनका कोई अन्य व्यवसाय नहीं है। कुली का 1% भूमि का मालिक है और किसी भी मामले में होल्डिंग 2 एकड़ से अधिक नहीं है। कुलियों को कड़ी चोट लगी है क्योंकि वे मोटे और घटिया प्रकार के कपड़ों में माहिर हैं जो आम तौर पर गरीब वर्ग द्वारा उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा, हाथ से बुने हुए कपड़े को धीरे–धीरे मिल से बने कपड़े से बदल दिया गया है। नतीजतन, वे एक–दूसरे से जुड़ी अर्थव्यवस्था में जी रहे हैं।

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि उड़ीसा में कुली को न तो अनुसूचित जाति के रूप में माना जाना चाहिए और न ही अनुसूचित जनजाति के रूप में। हालाँकि, उन्हें सरकार द्वारा सभी लाभ प्रदान किए जाने चाहिए। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में "।

19. 1979[7] में सरकार को भेजे गए एक पत्र में, यह उल्लेख किया गया था कि 1971 की जनगणना में विभिन्न जिलों में "कुली" जनजाति से "कुली" जाति को निम्नानुसार अलग किया गया है;

एस. एल. नं.	जिला	जनसंख्या	
		कुली जाति	कुली जनजाति
1.	संबलपुर	3554	936
2.	बलांगीर	522	657
3.	फुलबनी	10	172

7 पत्र संख्या. 1489 दिनांक 26.07.1979 के माध्यम से

4.	कालाहांडी	–	2
5.	गंजम	–	40
6.	ढेंकनाल	–	19
7.	मयूरभंज	–	37
8.	सुंदरगढ़	–	29
कुल		4086	1892

20. 1981 में, ओडिशा सरकार के हरिजन और जनजातीय कल्याण विभाग के आयुक्त और सचिव द्वारा भारत सरकार को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें ओडिशा राज्य की ओर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे गए थे। कुलिस के संबंध में, यह उल्लेख किया गया था कि वे पेशे से बुनकर हैं, जो मुख्य रूप से बोलांगीर, संबलपुर और फुलबनी जिलों में पाए जाते हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि उनके पास आदिवासी विशेषताएँ नहीं हैं और इसलिए, उन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची से हटाया जा सकता है।

21. इन दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए, यह आग्रह किया जाता है कि "कुलिस " और "कुली" अलग–अलग हैं और "कुली" समुदाय के सदस्यों को "कुलिस " नहीं माना जा सकता है। हम यह समझने में विफल हैं कि उपरोक्त दस्तावेजों से इसका अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। आबादी को दिखाने वाले बयान में, दोनों समुदायों को "कुली" के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन व्यवसाय का वर्णन करते हुए, समुदाय के सदस्यों को "कुलिस " के रूप में वर्णित किया गया है और यह सिफारिश की गई है कि "कुली" को न तो अनुसूचित जाति के रूप में माना जाना चाहिए और न ही अनुसूचित जनजाति के रूप में। इससे पता चलता है कि "कुली" के रूप में जाना जाने वाला केवल एक ही समुदाय था, जिसे संबलपुर जिले में कुछ समय के लिए अनुसूचित जाति के रूप में माना जाता था, लेकिन पूरे ओडिशा राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जाता था। राज्य द्वारा हमारे सामने रखे गए किसी भी दस्तावेज में यह दिखाने के लिए कोई संकेत नहीं है कि "कुलिस" नाम से एक अलग जाति या जनजाति है।

22. अब हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त की 24 वीं रिपोर्ट का उल्लेख कर सकते हैं। दिसंबर, 1977 में तैयार की गई इस रिपोर्ट में, ओडिशा राज्य से संबंधित, यह निम्नानुसार देखा गया है:

"..... उड़ीसा के मामले में, कुली समुदाय जिसे पहले संबलपुर जिले में अनुसूचित जाति घोषित

किया गया था, को सूची से हटा दिया गया है क्योंकि कुलियों को पहले ही पूरे राज्य में अनुसूचित जनजाति घोषित किया जा चुका है।

इस रिपोर्ट में, यह स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है कि "कुली" समुदाय को संबलपुर में अनुसूचित जातियों की सूची से हटा दिया गया है क्योंकि "कुलिस " को पहले ही पूरे राज्य में अनुसूचित जनजाति घोषित किया जा चुका है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि आयुक्त का विचार था कि "कुली" समुदाय जो संबलपुर जिले में अनुसूचित जाति घोषित किए गए समुदायों में से एक था, अब अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आएगा।

23. राज्य यह दिखाने में विफल रहा है कि कोई भी समुदाय जाति या जनजाति है, जिसे "कुलिस " के रूप में जाना जाता है। इस समुदाय को "कुली" के नाम से जाना जाता है।इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि क्रम में प्रयुक्त "कुलिस" शब्द "कुली" के लिए बहुवचन की प्रकृति में है। यह ऊपर उल्लिखित विभिन्न दस्तावेजों से और भी स्पष्ट हो जाता है जिसमें "कुलिस " और "कुली " शब्दों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया गया है और हालांकि जाति या जनजाति को "कुली " के रूप में वर्णित किया गया है, समुदाय के सदस्यों को, जब एक साथ निपटाया जाता है, तो उन्हें "कुलिस " के रूप में वर्णित किया गया है। इसके अलावा, 1976 के संशोधन अधिनियम के हिंदी संस्करण में, अनुसूचित जनजाति को "कुली" के रूप में वर्णित किया गया है न कि "कुलिस " के रूप में।

24. बसावलिंगप्पा के मामले में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा कि जाति "भोवी" में मुख्य रूप से इस आधार पर "वोद्दार" जाति के लोग शामिल हैं कि मैसूर राज्य के पुनर्गठन से पहले, कोई जाति "भोवी" नहीं थी और इसलिए, राष्ट्रपति के आदेश को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के उद्देश्य को छोड़कर शून्य नहीं किया जा सकता था। वर्तमान मामला काफी हद तक ऐसा ही है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, राज्य यह दिखाने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत में विफल रहा है कि "कुलिस" नाम से कोई जाति या जनजाति है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के आदेश और अधिनियम दोनों में, "कुलिस" शब्द का उपयोग "कुली" शब्द के बहुवचन के रूप में किया गया था।

25. हम इस न्यायालय की शक्तियों की सीमाओं से पूरी तरह अवगत हैं। हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचित सूची को बदलने या संशोधित करने के लिए नहीं जोड़ सकते हैं। हम यह भी जानते हैं कि हम इस संबंध में किसी भी साक्ष्य को ध्यान में नहीं रख सकते हैं। साथ ही, हमारा विचार है कि हम अधिसूचित अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूची में उल्लिखित जाति या जनजाति को ऐसी व्याख्या नहीं दे सकते हैं जिसका संसद के इरादे को रद्द करने का प्रभाव होगा। वर्तमान मामले में, पहले राष्ट्रपति और बाद में संसद ने कुलियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया था। यह पाया गया है कि ओडिशा राज्य में "कुलिस" नाम का कोई समुदाय नहीं है। एकमात्र समुदाय "कुली" है। यदि हम "कुलिस " में "कुली" को शामिल नहीं करते हैं, तो शुद्ध परिणाम यह होगा कि हम अनुसूचित जनजातियों की सूची से एक जनजाति को हटा देंगे। यह भी कोई न्यायालय या न्यायाधिकरण का अधिकार नहीं है। हमें सूची में प्रविष्टियों को इस तरह से पढ़ना होगा जो संसद के इरादे के अनुरूप हो। हमारे अनुसार, पहले राष्ट्रपति और बाद में संसद ने "कुलिस" शब्द का उपयोग करते हुए इसका उद्देश्य केवल "कुली" शब्द के बहुवचन के रूप में उपयोग करना था। किसी भी अन्य व्याख्या का मतलब यह होगा कि कोई भी "कुलिस" जनजाति से संबंधित होने का लाभ नहीं उठा पाएगा

26. उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि अंग्रेजी संस्करण में "कुलिस" शब्द में "कुली" समुदाय के सदस्य शामिल होंगे। तदनुसार अपीलें खारिज कर दी जाती हैं। हस्तक्षेप के लिए आवेदन भी खारिज कर दिया जाता है। लंबित आवेदन

(ओं) यदि कोई हो तो उनका निपटारा कर दिया जाएगा।

अपील ख़ारिज

कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया
तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश
बडवाह, जिला प.नि. मण्डलेश्वर